

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफएसएसए/ 2019/269

दिनांक:- 29/3/19

—:आदेश:—

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एफएसएसएआई नई दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाइन्स के अनुसार आपके परिसर/संस्थान में **Food Safety Display Board (FSDB)** लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

अतः समस्त खाद्य करोबारी कर्ता, ऑल गुड्स रिटेल स्टोर, राजस्थान को आदेशित किया जाता है कि वे **FSDB** को तुरन्त प्रभाव से अपनी संस्थान/परिसर में लगाया जाना सुनिश्चित करें।

Food Safety Display Board (FSDB) निम्नानुसार होना अनिवार्य है:-

1. A3 साईज कार्ड बोर्ड मेटेरियल पर प्रिंट होना चाहिये।
2. **FSDB** आपके परिसर के प्रवेशद्वार, रिसेप्शन/वीलिंग ऐरिया पर लगा होना चाहिये, ताकि उपभोक्ता को आसानी से नजर आ सके।
3. आपकी संस्थानों हेतु **FSDB** का रंग ग्रे रखा गया है।
4. **FSDB** बोर्ड में राज्य के कंट्रोल रूम नम्बर **0141-2225624** भी अन्य जानकारीयों के साथ भी लिखा होना चाहिये, जिससे उपभोक्ता चाहे तो एफएसएसएआई नई दिल्ली के साथ-साथ राज्य में भी सम्पर्क कर सके।

Food Safety Display Board (FSDB) नहीं लगाये जाने पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में निहित प्रावधानों के तहत सख्त कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

संलग्न — **Food Safety Display Board (FSDB)** का प्रारूप।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफएसएसए/2019/269

दिनांक:- 29/3/19











प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि **Food Safety Display Board (FSDB)** लगाये जाने की पालना सुनिश्चित करें।
4. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
5. समस्त खाद्य करोबारी कर्ता, ऑल गुड्स रिटेल स्टोर, राजस्थान को विभाग की वेबसाइट <http://rajswasthya.nic.in> के माध्यम से सूचित कर निर्देशित किया जाता है उक्त आदेश की तुरन्त पालना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

With Us You Will Get Safe Food

We Follow These 10 Golden Rules

Hygiene Rule Codes		Hygiene Rule Codes	
1	Keep counters & racks clean. Keep premises clean and free from pest and rodents.		6
2	Sell only FSSAI licensed products. Do not sell expired/ spoiled food.		7
3	Keep milk and meat products below 5° C and frozen products at below -18° C		8
4	Keep veg/non-veg & dairy products separate and at adequate temperature		9
5	Use potable water to wash hands		10
			Wear clean clothes/uniform
			Wash hands before & after handling food and after using toilets, coughing, sneezing, etc.
			Use water proof bandage to cover cuts or burn wounds
			Use clean and separate dusters to clean surfaces and wipe utensils
			Do not handle food when unwell

If any concern

Give your Feedback to Company Name

Call toll free
1800 112 100

SMS or Whatsapp
9868686868

Always quote FSSAI Number for quick action

(Company Name)

(Contact Details)

Download FSSAI APP

or Logon to <https://foodlicensing.fssai.gov.in/cmsweb>

Connect with us:

- Food Safety and Standards Authority of India
- fssaiindia